2026:AHC:48240

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी सं. - 7333 वर्ष 2026

हेमराज ....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य .... प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से अधिवक्ता : अमन आर्य

प्रतिवादी(यों) की ओर से अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

2. प्रस्तावित आदेश को दृष्टिगत रखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी कर इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रतिवादी उक्त आदेश से स्वयं को किसी प्रकार से आहत/असंतुष्ट अनुभव करते हैं, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।

3. याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है कि प्रतिवादी संख्या-2/नायब तहसीलदार, तहसील हंडिया, जनपद प्रयागराज को निर्देशित किया जाए कि वाद संख्या-956 वर्ष 2024 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या-टी202402030402686) का शीघ्रताशीघ्र निस्तारण करें।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उपनियम (7) के अंतर्गत दायर प्रार्थना-पत्र दीर्घ अवधि से लंबित है। इस स्तर पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उपनियम (7) का उल्लेख करना उपयुक्त एवं प्रासंगिक होगा, जिसके अनुसार ऐसा प्रार्थना-पत्र दायर होने पर संबंधित प्राधिकारी को उसे समयबद्ध

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अवधि के भीतर विधि के अनुसार निस्तारित करना अपेक्षित है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 का उपनियम (7) इस प्रकार है,

> *"(7) तहसीलदार पंजीकरण की तिथि से 45 दिवस की अवधि के भीतर नामांतरण के अविवादित प्रकरणों का तथा 90 दिवस की अवधि के भीतर नामांतरण के विवादित प्रकरणों का निस्तारण करने का प्रयास करेगा, और यदि कार्यवाही उक्त अवधि के भीतर समाप्त नहीं होती है, तो उसके कारण अभिलेख पर अंकित किए जाएंगे।"*

5. उपर्युक्त प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में तथा पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आलोक में, प्रतिवादी संख्या-2/नायब तहसीलदार, तहसील हंडिया, जनपद प्रयागराज को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त प्रार्थना-पत्र को ग्रहण कर उसके गुण-दोष के आधार पर विधि के अनुसार कड़ाई से, यथाशीघ्र तथा अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर निस्तारित करें, बशर्ते कि कोई विधिक बाधा न हो तथा अनावश्यक स्थगन प्रदान न किया जाए।

6. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पक्षकारों के परस्पर प्रतिद्वंद्वी तर्कों के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त नहीं किया गया है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

10 मार्च, 2026
सकलैन

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।